कार्यालय जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल

आयुक्त सभागार, तल्लीताल, नैनीताल (उत्तराखण्ड), फोनः 05942–232800, फैक्स–236042

Website: www.ddantl.org.in E-mail I.D.- secretaryldanainital@rediffmail.com

Tender fees: ₹ 5,900.00 (including GST)

कार्य का नामः कैंचीधाम, नैनीताल में स्थित अस्थायी पार्किंग के रख–रखाव एवं संचालन हेतु।

Time Schedule for Bidding:

Sl. No.	Description	Critical Dates
(i)	Publishing Date	19-12-2023
(ii)	Document Download Start Date	20-12-2023
(iii)	Bid Submission Start Date	23-12-2023
(iv)	Bid Submission End Date	03-01-2024 at 2:00 P.M.
(v)	Technical Bid Opening Date	03-01-2024 at 3:00 P.M.
(vi)	Financial Bid Opening Date	After Technical Bid Approval….

ENVELOPE–I(FEE & EMD)

This envelope shall contain the following:-

1. Tender Fees, which should be in the form of DD or RTGS/NEFT/UPI transfer to the bank account of "**Secretary District Level Development Authority**", with bank details as:

(Amount Transfer receipt details copy to be attached & uploaded with tender document)

Bank Name	**:**	**Bank of Baroda**
Branch	**:**	**Nainital**
Account Number	**:**	**06090100016471**
IFSC	**:**	**BARB0NAINIT (5th Character is ZERO).**

2. **Cheque for Tender Fees will not be accepted and any such bid will be summarily rejected.**

NOTE: This part shall contain the Tender Fees of the tender document. Total price to be charged by the tenderers for executing the work, complete in all respect should not be placed in any case. It is to be noted that the sealed envelope containing this part shall contain only Fees and no conditions i.e. deviations / assumptions/ stipulations / clarifications / comments / any other request whatsoever and the conditional offers will be rejected.

शर्ते एवं प्रतिबन्ध

1– पार्किंग का क्षेत्रफल 2500 इस्क्वायर मीटर है।

2– पार्किंग का आधार मूल्य रू0 1,27,60,000–00 निर्धारित है। (15 माह हेतु)(G.S.T. अतिरिक्त)

3– पार्किंग की निविदा 01 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2025 तक कुल 15 माह तक के लिए मान्य होगी।

4– उक्त पार्किंग का सुदृढीकरण/मरम्मत, संचालन एवं रख–रखाव **निविदादाता** द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जायेगा।

5– पार्किंग में चौपहिया वाहन हेतु अधिकतम शुल्क रू0 100/04 घण्टे एवं 04 घण्टे के उपरान्त 10 रू0/घण्टा, दो पहिया वाहन हेतु अधिकतम शुल्क रू0 50/04 घण्टे एवं 04 घण्टे के उपरान्त 05 रू0/घण्टा, 03 पहिया वाहन हेतु रू0 75/04 घण्टे एवं 04 घण्टे के उपरान्त 10रू0/घण्टा, चार पहिया वाहन (5 मीटर से अधिक) रू0 125/04 घण्टे तथा 04 घण्टे के उपरान्त रू0 15/प्रति घण्टा एवं बस/ट्रक (जहॉं अनुमन्य हो) रू0 150/04 घण्टा तथा 04 घण्टे के उपरान्त रू0 20/प्रति घण्टा की दर से वसूला जायेगा। निर्धारित दरों से अधिक किराया नहीं वसूला जायेगा। यदि इस प्रकार का तथ्य आता है तो रू0 10,000–00 का अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा।

6– निविदा की धनराशि का 10 प्रतिशत धनराशि धरोहर राशि के रूप में जमा करना होगा।

7– निविदादाता को निविदा प्रपत्र के रूप में तकनीकी विड एवं आर्थिक विड के रूप में कम से कम 50.00 लाख (रूपये पचास लाख) रूपये का अद्यतन हैसियत प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी (उप जिलाधिकारी) द्वारा निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जी0एस0टी0 पंजीकरण की छायाप्रति तथा स्व प्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित पृथक–पृथक दो लिफाफो में उसके ऊपर स्पष्ट रूप से कैंचीधाम अस्थाई पार्किंग हेतु आर्थिक विड एव तकनीकी विड लिखा हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा (ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों)

8– निविदा द्वारा निविदा राशि को स्पष्ट रूप से शब्दों एवं अंको में लिखना होगा।

8– निविदा प्रपत्र में करेक्शन फ्लूड अथवा ओवर राइटिंग का प्रयोग करना वर्जित होगा।

10– निविदा प्रपत्र में रू0 100/– का स्टाम्प पेपर संलग्न करना अनिवार्य होगा।

11– निविदा राशि की 50 प्रतिशत धनराशि अनुबन्ध के समय निविदादाता द्वारा जामा की जायेगी। अवशेष 50 प्रतिशत अनुबन्ध के 06 माह के भीतर जिला पर्यटन विकास समिति के खाते में करना अनिवार्य होगा। नियत अवधि में 50 प्रतिशत अवशेष धनराशि जमा न किये जाने पर 01 माह तक 10 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ जमा किया जाना अनुमन्य होगा। उक्त अवधि के उपरान्त धनराशि जमा न किये जाने पर अनुबन्ध को स्वतः निरस्त समझा जायेगा एवं जिला पर्यटन विकास समिति, नैनीताल नई निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु स्वतंत्र होगी। अवशेष धनराशि की वसूली (मय 18 प्रतिशत ब्याज) भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूली की जायेगी। उपरोक्त राशि में नियमानुसार आयकर, स्टाम्प शुल्क, जी0एस0टी0/अन्य कर का भुगतान स्वतः करना होगा।

DTDO

12– **किसी भी तरह की आपदा या अन्य कारणों से व्यवसाय पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव पडने अथवा व्यवसाय बाधित होता है तो इसका समस्त** उत्तरदायीं स्वम निविदादाता होगा।

13– निविदादाता को इकाई का संचालन स्वयं करना होगा। **निविदादाता** किसी अन्य व्यक्ति (III[rd] Person) या अन्य संस्था को इकाई संचालित करने हेतु नामित/चयनित नहीं करेगा। यदि इस प्रकार का तथ्य आता है तो ऐसी स्थिति में तत्काल प्रभाव से **निविदादाता** को शास्ति के रूप में **रू0 5000.00 (रू0 पांच हजार मात्र)** के अर्थदण्ड से दण्डित करेगा।

14– **इस अनुबन्ध की अवधि में उक्त स्थल पर पर्यटकों/यात्रियों के साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है तो ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण** उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।

15– **किसी भी प्रकार के कर अथवा** जी0एस0टी0 यदि स्थानीय प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर पर आरोपित **किये जाते है, तो किराये के अतिरिक्त** उनके भुगतान का दायित्व पृथक से **निविदादाता** का होगा।

16— **निविदादाता द्वारा** किसी भी प्रकार का अस्थाई तथा स्थाई निर्माण नही किया जायेगा, यदि आवश्यक हों तो लिखित रूप में पूर्वानुमति किया जाना आवश्यक होगा।

17— निविदादाता को उक्त परिसर से सम्बन्धित बिजली/पानी का बिल स्वयं वहन करना होगा तथा अपनी आवश्यकतानुसार उपकरण स्थापित कर सकता है, परन्तु इसकी सूचना देनी अनिवार्य होगी।

18— निविदादाता यह भी सुनिश्चित करेगा कि पर्यटकों द्वारा या अन्य किसी के भी द्वारा प्लास्टिक या खादय सामाग्री एवं बाजारी वस्तु का कचरा उक्त स्थल पर नहीं फेंकेगा तथा गन्दगी कदापि नहीं करेगा साथ ही परिसर की नियमित साफ–सफाई करेगा। यदि इस प्रकार तथ्य आता है तो ऐसी स्थिति में निविदादाता के विरूद्ध नियमानुसार सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की संस्तुति की जायेगी अथवा रू0 1000.00 मात्र के अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा।

19— **निविदा** का यह भी दायित्व होगा कि उक्त स्थल पर आने वाले पर्यटकों/यात्रियों को पर्यावरण साफ–सुथरा रखने हेतु जागरूक करेगा।

20— यदि **निविदादाता** द्वारा किसी भी कारण से इस अनुबन्ध को समाप्त किया जाता है तो स्पष्ट कारण सहित 02 माह पूर्व लिखित रूप से प्रस्तुत करना होगा।

21— परिसम्पत्ति की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित रखने का पूर्ण दायित्व **निविदादाता** का होगा।

22— उक्त स्थल में ऐसे व्यक्ति/व्यक्ति समूह की सूचना मिलती हैं, कि सम्बन्धित व्यक्ति/व्यक्ति समूह किसी भी प्रकार का अपराधी हो या अपराधी होने की आशंका हो, की सूचना तत्काल ही निकटवर्ती पुलिस स्टेशन में करेगा।

23— मा0 उच्च न्यायालय के मा0 न्यायाधीश, जिला प्रशासन, पुलिस के वाहनों हेतु पार्किंग का कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

24— जिला प्रशासन/पर्यटन विभाग के लिए 10 वाहनों हेतु पार्किंग स्थल आरक्षित रखा जायेगा।

25— **परिसर** से सम्बन्धित कैशबुक, बिलबुक, वाउचर्स एव तत्सम्बन्धी अभिलेखों को अंकित करते संधारित करेगा।

26— परिसर के उचित स्थान पर निर्धारित रेट लिस्ट प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है,

27— **जिला** प्रशासन अथवा जिला पर्यटन विकास समिति के प्रतिनिधि किसी भी समय **उक्त स्थल में** अभिलेखों का निरीक्षण करने हेतु स्वतन्त्र होगा तथा किसी भी सम्बन्धित अभिलेख मांगे जाने पर तत्सम्बन्धी अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करना होगा।

28— **निविदा** द्वारा परिसर का संचालन अनुबन्ध की तिथि से 07 दिन के भीतर प्रारम्भ करना होगा अन्यथा आवंटन रद्द कर दिया जायेगा।

29— पार्किंग स्थल में वाहनों की मरम्मत व सर्विसिंग का कार्य अनुमन्य नहीं होगा।

30— किसी भी प्रकार के विवाद का न्यायाधिकार मा0 न्यायालय नैनीताल होगा।

31— **सम्पत्ति** की आवश्यकता होने पर 01 माह के लिखित नोटिस पर सम्पत्ति को खाली करवाया जा **सकता है**। ऐसी दशा में जमा कराये गये अधिशुल्क की आनुपातिक धनराशि वापस की जायेगी, **परन्तु संचालन** अवधि के मध्य में संचालन छोड़ने की स्थिति में जमा धरोहर राशि जब्त कर ली **जायेगी**।

32— **निविदा की शर्ते** अनुबन्ध का भाग होगी।

DTDO
~~सदस्य सचिव~~
जि0प0वि0स0/
~~जि0प0वि0अ0~~
नैनीताल

SDM
CNKJ

Bhausal.

सचिव,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण/
संयोजक जिला स्तरीय पार्किंग समिति,
नैनीताल।